19-6-19	वकील प्रार्थी उप० । अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही है । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है । प्रार्थी के वकील ने प्रार्थी कुलदीप जैमिनी के बयान कराए । बहस वकील प्रार्थी सुनी गई । वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-6-19 को पेश हो ।
कुलदीप जैमिनी	
26-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट~~/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य~~ जनसुनवाई कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 8-7-19 को पेश हो। रीडर
8-7-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है~~/अन्य कार्यों में ~~व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 16-7-19 को पेश हो। रीडर
16-7-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/~~अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनाक 18-7-19 को पेश हो। रीडर
18-7-19	वकील प्रार्थी उप० है । प्रार्थी का प्रा०पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2019	8.5.2019	18-7-2019

भारती विद्या मंदिर गंगापुर सिटी जरिए व्यवस्थापक कुलदीप जैमिनी पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर सिटी भारती विद्या मंदिर, चूली गेट, गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री आर0के0 मिश्र, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की संस्था भारती विद्या मंदिर के नाम से पंजीकृत है तथा इसी नाम से प्रार्थी की संस्था का रजिस्ट्रेशन है। दिनांक 28.12.83 को प्रार्थी की संस्था को ख0नं0 67/1 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार किया जाकर कब्जा दिया गया। उक्त साबिक ख0नं0 67/1 रकबा 5 बीघा में से जो प्रार्थी को आवंटित की गई का 65 एयर रकबा सडक मार्ग में चला गया, शेष भूमि का नया नम्बर 4 बना है जो जमाबंदी में ख0नं0 1287/4 रकबा 0.60 है0 वर्तमान में संस्था के नाम दर्ज है परन्तु जमाबंदी में भारती विद्या मंदिर गंगापुर सिटी के स्थान पर भारतीय विद्या मंदिर गंगापुर सिटी है। उक्त त्रुटि सहवन से राजस्व रिकार्ड में हो रही है जिसकी दुरूस्ती आवश्यक है। यह एक क्लेरीकल त्रुटि है जिसका पता प्रार्थी को जमाबंदी की नकल दिनांक 11.4.19 को प्राप्त करने पर हुआ है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की संस्था के नाम राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबंदी में दर्ज भारतीय विद्या मंदिर गंगापुर सिटी को दुरूस्त किया जाकर सही प्रकार भारती विद्या मंदिर गंगापुर सिटी का अंकन जमाबंदी में किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भारती विद्या मंदिर नाम से पंजीकृत संविधान की प्रति अनुसार संस्था का नाम भारती विद्या मंदिर अंकित है। भूमि का जिलाकलेक्टर द्वारा आवंटनकरना प्रार्थी द्वारा स्वयं सिद्ध किया गया है। संलग्न दस्तावेजानुसार एवं आवंटन पत्रों से भारती विद्या

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

[illegible] सही होना सिद्ध होता है जिसे दुरूस्त कराए जाने पर भूमिधारी तहसीलदार को कोई आपत्ती नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अंकित हाल ख0नं0 1287/4 रकबा 0.60 है0 ग्राम मिर्जापुर में दर्ज संस्था का नाम भारतीय विद्या मंदिर के स्थान पर भारती विद्या मंदिर गंगापुर सिटी अंकित किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, तहसीलदार गंगापुर सिटी का पत्र दिनांक 28.12.83 प्रदर्श–2, नकल निर्णय तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 31.12.83 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5 प्रस्तुत किए हैं एवं प्रार्थी कुलदीप जैमिनी के बयान कराए हैं। इसके अतिरिक्त संस्था का संघ विधान पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम मिर्जापुर में दर्ज नाम भारतीय विद्या मंदिर के स्थान पर भारती विद्या मंदिर दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार भारती विद्या मंदिर को ग्राम मिर्जापुर के साबिक ख0नं0 67/1 में 5 बीघा भूमि आवंटित होना पाया जाता है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 67/1 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा का नवीन ख0नं0 4 रकबा 2.05 है0 कायम किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार उसको आवंटित भूमि में से 65 एयर भूमि सडक मार्ग में चली गई है शेष 60 एयर भूमि उसके नाम दर्ज है जो नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 प्रदर्श–4 के अनुसार संस्था के नाम दर्ज है परन्तु इसमें संस्था का नाम भारती विद्या मंदिर के स्थान पर भारतीय विद्या मंदिर गंगापुर के नाम दर्ज है। अभिलेख के अनुसार एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर के जबाब के अनुसार इस अशुद्धि की शुद्धि होना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 1287/4 रकबा 60 एयर ग्राम मिर्जापुर में दर्ज खातेदार का नाम भारतीय विद्या मंदिर गंगापुर के स्थान पर भारती विद्या मंदिर गंगापुर शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 11:19:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: